न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 72 / 2020 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामलाल पि. भंवरलाल जाति दांगी नि. कचराखेडी तहसील रायपुर
2. नरबदीबाई बेवा भंवरलाल जाति दांगी नि. कचराखेडी तहसील रायपुर
3. सज्जनबाई पत्नि रामलाल जाति दांगी नि. कचराखेडी तहसील रायपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पि. मांगीलाल जाति दांगी नि. कचराखेडी तहसील रायपुर
2. गीताबाई पुत्री नन्दा जाति दांगी नि. कचराखेडी तहसील रायपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री विनोद शर्मा

वकील अप्रार्थीगण – श्री पूरीलाल राठौर

निर्णय दिनांक : 16/07/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 251 ए रा.टी.एक्ट. के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कचराखेडी की आराजी किता 5 रकबा 0.6575 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु आम रास्ता कचराखेडी से निसानिया जाने वाले रास्ते से होकर ख.नं. 404 की पूर्व मेड व ख.नं. 403 की पूर्व मेड एवं ख.नं. 405 की पश्चिम मेड के बीच में से होकर प्रार्थीगण के ख.नं. 408 , 416 , 415 , 414 / 732 में जाने का रास्ता है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास आने जाने का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आने जाने हेतु ख.नं. 403 , 404 की पूर्व मेड एवं ख.नं. 405 की पश्चिम मेड पर रास्ता प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण की आराजी लम्बे समय से पडत पडी हुई है। अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है एवं अप्रार्थीगण ने तार फेंसिग कर रखी है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार पिडावा को भी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.07.17 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें दिनांक 24.08.2020 को निर्णय पारित किया गया परन्तु उक्त निर्णय की पालना नहीं हुई। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ते की आवश्यकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम कचराखेडी की आराजी ख.नं. 408 , 416 , 415 , 414/732 पर पहुँचने के लिये ख.नं. 403 , 404 , 405 के मध्य में होकर 12 फीट चौडा नवीन रास्ता कायमी का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार पिडावा का निर्णय दिनांक 24.08.2020 की प्रति , नक्शा ट्रेस एवं ग्राम कचराखेडी की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 264 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री पूरीलाल राठौर ने वकालातनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार पिडावा के निर्णय की अपील न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड में की हुई है जो विचाराधीन है जिसके चलते यह प्रार्थना पत्र धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत स्टे होने योग्य है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। मौके की स्थिति अनुसार भी राजस्व ग्राम से प्रार्थीगण के खसरा नं. अप्रार्थीगण के खसरा नं. से निकट है। इसलिये साम्या सिद्धान्त अनुसार अप्रार्थीगण की आराजी में रास्ता का कोई वजूद नहीं है , प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट ली गई।

भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 , 05.07.2021 , 13.07.2021 के अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी ख.नं. 408 पर आने जाने के रास्ता हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 405 की पश्चिम दिशा की मेड पर होकर लगभग 100 फीट लम्बाई एवं 12 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है।

पत्रावली को अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में यह पाया कि प्रार्थीगण को ग्राम कचराखेडी की अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 408 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 405 की पश्चिम मेड पर होकर 12 फीट चौडा एवं 100 फीट लम्बा अर्थात लगभग 1 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया जा सकता है। उक्त नवीन रास्ता कायमी से होने वाली अप्रार्थीगण की क्षतिपूर्ति हेतु

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला [illegible](राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.07.17 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 408 में से (ख.नं. 405 से लगता मेड़ पर) 1 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण को दी जा सकती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कचराखेडी की आराजी ख.नं. 408 पर पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 405 की पश्चिम मेड़ पर होकर 12 फीट चौड़ा एवं 100 फीट लम्बा अर्थात लगभग 1 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया जाता है एवं अप्रार्थीगण को होने वाली क्षति के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 408 में से (ख.नं. 405 से लगता मेड़ पर) 1 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण को प्रदान करेगा। तहसीलदार रायपुर को ग्राम कचराखेडी की आराजी ख.नं. 405 की पश्चिम मेड़ पर होकर 12 फीट चौड़ा एवं 100 फीट लम्बा अर्थात लगभग 1 बिस्वा भूमि को सार्वजनिक उपयोगार्थ गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जि[illegible] (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.07.17 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner